दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

रि.या. (सि.) 1227/2024

मोहम्मद हमीम और अन्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री कॉलिन गोंसाल्विस, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता सुश्री कवलप्रीत कौर

बनाम

फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तेजस करिया, श्री वरुण पाठक, श्री शशांक मिश्रा, श्री श्यामलाल आनंद श्री विशेष शर्मा, सुश्री रामायनी सूद और श्री राहल उन्नीकृष्णन, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के लिए मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के अधिवक्ता , श्री अपूर्व कुरुप, केंद्र सरकार स्थायी अधिवक्ता के साथ निधि मित्तल और सुश्री गौरी गोबर्धन, प्र.-3/भारत संघ के अधिवक्ता

निर्णय तिथि: 30 जनवरी, 2024

कोरम:

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

<u>निर्णय</u> (मौखिक)

1. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को उचित निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है कि वे नफरत फैलाने वाले भाषण और हानिकारक विषयवस्तु की निगरानी करें और इसे निलंबित करें जो भारत में उनके मंच यानी 'फेसबुक' के माध्यम से उत्पन्न होती है जो भारत और अन्य जगहों पर, रोहिंग्या समुदाय के लिए निर्देशित है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को इसकी वायरलिटी और रैंकिंग एल्गोरिदम के उपयोग को जो अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अभद्र भाषा और हिंसा को प्रोत्साहित करता है उसे रोकने के लिए एक निर्देश चाहते हैं, सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3, यानी भारत संघ को निर्देश जारी करने की अवधि तक याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन भी सौंपा है, ताकि फेसबुक को ऐसा करने से रोकने के लिए कानून अनुसार कदम उठाए जा सकें, अन्य बातों के साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क (1) (ख) के तहत कवर किए गए अभद्र भाषा को बढ़ावा देना, 1860 ('भा.दं.सं.') और विशेष रूप से रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ है।

2. शुरुआत में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार ने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को गलत तरीके से फंसाया गया है और उक्त प्रत्यर्थियों का सही विवरण मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक है। उक्त बयान रिकॉर्ड में लिया जाता है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि वर्तमान याचिका एक जनहित याचिका ('पीआईएल') के रूप में दायर की गई है, जिसमें दिल्ली और पूरे देश में रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों के जीवनाधिकार की सुरक्षा की मांग की गई है, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 अर्थात फेसबुक पर उनकी जातीयता और धर्म के आधार पर उन्हें लक्षित करने वाली घृणास्पद टिप्पणियों के प्रसार के परिणामस्वरूप हिंसा का सामना करना पड़ता है । उनका कहना है कि हालांकि अभद्र भाषा कहीं और उत्पन्न होती है, लेकिन यह फेसबुक के एल्गोरिदम द्वारा बढ़ाई जाती है ताकि अभद्र भाषा भारत और विदेशों में वायरल हो जाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस याचिका के पैराग्राफ 19 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ फेसबुक पर अपलोड किए गए भड़काऊ पोस्ट बताए हैं।

4. उनका तर्क है कि फेसबुक अपने राजस्व को बढ़ाने की रणनीति के एक हिस्से तहत अभद्र भाषा को बढ़ावा देता है। वह प्रस्तुत करता है कि अभद्र भाषा भा.दं.सं की धारा 153-क (1) (ख) के तहत भारत में

एक अपराध है और भले ही प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 संशोधन करने का वादा करता है, लेकिन यह इस तरह के घृणास्पद भाषण को बढ़ाकर अपने राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिक पोस्ट अभद्र भाषा निर्माण करते हैं और भा.दं.सं. की धारा 153-ख और 500 के तहत एक गंभीर अपराध है।

5. उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने और बढ़ा-चढ़ाकर पोस्ट करने का मुद्दा फेसबुक द्वारा राजस्व उत्पन्न करने के लिए अच्छी तरह से मॉडल स्थापित है और इस उद्देश्य के लिए वह वर्ष 2019 और 2022 तक की रिपोर्टों और दस्तावेजों को संदर्भित करता है। वह वर्ष 2022 में एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को संदर्भित करता है, जो विशेष रूप से रोहिंग्या समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली गलत सूचना के प्रसार को संदर्भित करता है। उन्होंने कहा कि उक्त रिपोर्ट में फेसबुक की स्वीकारोक्ति उन्हें धारा 79 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम')अधिनियम के तहत संरक्षण से वंचित करती है।

6. उन्होंने कहा कि यह याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रत्यर्थी संख्य 1 और 2 सुझावों जैसी सिफारिश सेवाओं के माध्यम से सामग्री वितरित करने में, सक्रिय रूप से नफरत सामग्री को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि पोस्ट की सूचना मिलने के बाद उन्हें हटाने की प्रतिक्रियावादी कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि हानिकारक सामग्री की

सूचना मिलने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसे हटा दिया जाएगा और अक्सर इसे बहाल कर दिया जाता है।

7. उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या. 3, यानी भारत संघ ने वर्ष 2008 में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दिशानिर्देश जारी किए और अभद्र भाषा के खिलाफ सख्त कार्रवाई को विशेष रूप से पैराग्राफ 3.13 में सूचीबद्ध किया गया है ।

8. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग करने वाली वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के खिलाफ ***कौशल किशोर वि. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** के मामले पर सर्वोच न्यायालय के फैसले के मद्देनजर सुनवाई योग्य है। वैकल्पिक तौर पर , वह प्रार्थना करता है कि रोहिंग्याओं के संबंध में फेसबुक पर किसी भी तरह के प्रकाशन के पूर्व की सेंसरशिप की शक्ति भारत सरकार को दी जाए।

9. श्री अरविंद पी. दातार, प्रप्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा

कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक पूर्ण नियामक नेटवर्क तैयार किया है जो विशेष रूप से अभद्र भाषा के मुद्दे से संबंधित है। वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ('आईटी नियम, 2021') को संदर्भित करता है।

उन्होंने कहा कि उक्त नियमों में नियम 3 (ख)(ii) सोशल मीडिया मध्यस्थ पर एक सांविदिक बाध्यता आरोपित करता है कि वह ऐसी सूचनाओं का प्रसार न हो जो अन्य बातों के साथ-साथ, जातीयता या धर्म के आधार पर समुदाय के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है इसके लिए उचित प्रयास करे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा शिकायत निवारण तंत्र और शिकायत अपीलीय समिति (समितियों) से अपील पर आईटी नियम, 2021 के नियम 3 (2) और 3 क के तहत विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए, भारत संघ ने पहले ही उक्त नियमों को तैयार करके अभद्र भाषा को रोकने के लिए अपने दायित्वों की पुष्टि की है।

10. उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने उपाय किए हैं और आईटी नियमों के तहत अनिवार्य आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए तंत्र स्थापित किया है और भारत सरकार को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अकेले नवंबर, 2023 के महीने में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने उस महीने में 1 लाख से अधिक आपत्तिजनक पोस्ट को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि वह विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के इस आरोप का खंडन करते हैं कि फेसबुक अभद्र भाषा का प्रचार कर रहा है या नफरत फैलाने वाले भाषण से पैसा कमा रहा है। उनका कहना है कि समाचार का आवर्धन मंच की प्रकृति के कारण होता है और सभी

सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए आम है। उनका कहना है कि, वास्तव में, याचिकाकर्ता यह सत्यापित करने में विफल रहे हैं कि रिट याचिका के पैराग्राफ 19 में जिन पोस्टों का उल्लेख किया गया है, सभी (मान्यता प्राप्त समाचार चैनल के खाते पर दिखाई देने वाले 3 पोस्ट को छोड़कर) नवंबर 2023 में ही फेसबुक द्वारा हटा दिए गए हैं और इसलिए, वर्तमान याचिका को बनाए रखने की कार्यवाही का कोई कारण नहीं है।

11. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति पूर्व-प्रकाशन सेंसरशिप जो प्रत्यर्थी के डोमेन के भीतर नहीं है। वह ***श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विसाका इंडस्ट्रीज 3*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं और विशेष रूप से उस फैसले के पैराग्राफ 54, 55 और 57 पर ।

12. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर इसी तरह की एक रिट याचिका को सोशल मीडिया मध्यस्थों पर प्रसारित सामग्री को विनियमित करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसे डिवीजन बेंच ने दिनांक 09 जुलाई, 2010 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। दिसंबर, .2022 दिनांक 20 के आदेश पर भरोसा करते हुए जुलाई,.2022 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका (सि.) संख्या 1341/2020 में पारित किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उक्त रिट

याचिका को आईटी नियम 2021 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 की घोषणा के मद्देनजर खारिज कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यहां प्रत्यर्थियों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 9 के रूप में शामिल किया गया था। उनका कहना है कि इसलिए, इसी विचार के आधार पर वर्तमान याचिका का भी निपटारा किया जाए।

13. वह सर्वोच्च न्ययालय द्वारा ***सुओ मोटो रिच याचिका (आप.) संख्या 3/2015*** के रूप में शीर्षक ***अबरार खान वि. उत्तर प्रदेश राज्य*** पारित दिनांक 01.08.2023 के आदेश पर भी भरोसा करता है कोर्ट में यह तर्क देने के लिए कि आईटी नियम 2021 में निर्धारित नियामक तंत्र को ध्यान में रखते हुए, उक्त याचिका को उक्त रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने में इन हितधारकों द्वारा प्राप्त प्रगति के साथ संतुष्टि दर्ज करने के बाद निपटाया गया था।

14. उन्होंने अंत में कहा कि फेसबुक का उपयोग एक अरब से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है और सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई है जो स्पष्ट रूप से बताती है कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

15. भारत संघ की ओर से पेश विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अपूर्व कुरुप ने कहा कि इस याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए आईटी नियम, 2021 लागू किए गए हैं और आपत्तिजनक पदों को नियंत्रित करने के लिए नियामक ढांचा, जैसा कि रिट याचिका में दिखाया गया है, लागू है।

उन्होंने कहा किकि वास्तव में, शिकायत निवारण के अलावा नियम 3(2) और नियम 3-क के तहत तंत्र, आईटी नियम, 2021 के नियम 16 के तहत एक आपातकालीन प्रावधान भी है, जो सरकार को आईटी अधिनियम की धारा 69-क के तहत संदर्भित आधारों के लिए इसे लागू करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान याचिका में उठाई गई शिकायत के संबंध में याचिकाकर्ताओं से कोई पूर्व सूचना या प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था।

16. जवाब में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने निष्पक्ष तरीके से स्वीकार किया कि रिट याचिका में आईटी नियम, 2021 या केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का कोई संदर्भ नहीं है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि इस याचिका में की गई शिकायतों को उठाने वाला कोई पूर्व प्रतिनिधित्व भारत संघ के समक्ष नहीं उठाया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि याचिकाकर्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा कहा गया है रिट याचिका के पैराग्राफ 19 में उल्लिखित पोस्ट पहले से ही हटा दिए गए हैं ।

17. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

18. रिट याचिका से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं को आज की सुनवाई से पहले, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के कानूनी दायित्वों के बारे में पता नहीं था कि वे अभद्र भाषा के प्रसार को बढ़ावा नहीं देते हैं और नियम 3 में निर्धारित उचित परिश्रम करते हैं या आईटी नियम, 2021 के नियामक ढांचे के अस्तित्व और उक्त नियमों के तहत प्रदान की गई शिकायत निवारण तंत्र या ब्लॉकिंग आदेश जारी करने के लिए भारत संघ की शक्ति के बारे में जो कि आईटी अधिनियम की धारा 69 क के तहत प्रदान की गई है । वास्तव में, जैसा कि भारत संघ के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा सही तर्क दिया गया है, आईटी नियम, 2021, अधिकृत अधिकारी के कहने पर नियम 16 के तहत आपातकालीन अवरोधन आदेश भी प्रदान करते हैं। यह याचिकाकर्ताओं का तर्क नहीं है कि उक्त निवारण तंत्र प्रभावी नहीं है। नतीजतन, इस न्यायालय की राय है कि उपरोक्त नियमों के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत संघ को फेसबुक को भा.दं.सं. की धारा 153 और 500 के तहत कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण और विशेष रूप से रोहिंग्या के खिलाफ घृणास्पद भाषण को बढ़ावा देने, बढ़ाने, फैलाने से रोकने के लिए दिए गए निर्देश पर विचार नहीं किया जाता है।

19. इसी तरह, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के खिलाफ मांगी गई राहत बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि रिट याचिका में कोई आरोप नहीं है कि उक्त

प्रत्यर्थी आईटी नियम 2021 के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर विवाद नहीं किया है कि रिट याचिका के पैराग्राफ 19 में उल्लिखित आक्षेपित पोस्ट (मान्यता प्राप्त समाचार चैनल के खाते में दिखाई देने वाले 3 पदों को छोड़कर) नवंबर, 2023 में हटा दिए गए थे; जबकि, वर्तमान याचिका जनवरी 2024 में दायर की गई है और आज पहली बार सूचीबद्ध की गई थी।

20. इस न्यायालय का यह भी मत है कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का सुझाव कि फेसबुक पर रोहिंग्याओं के किसी भी प्रकाशन की पूर्व सेंसरशिप होनी चाहि यह '*एक ऐसा इलाज जो कि रोग से बदतर है* ' इसका एक उदाहरण है।

21. यह आगे स्थापित कानून है कि जहां एक अधिनियम पीड़ित पक्ष को एक पूर्ण तंत्र प्रदान करता है वहां संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करने के लिए उस तंत्र का परित्याग करने की अनुमति नहीं है।

22. परिणामत: जैसा कि यहाँ एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र अस्तित्व में है, याचिकाकर्ताओं के पास एक वैकल्पिक प्रभावी उपचार है और किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में आईटी नियम, 2021 के अनुसार

निवारण तंत्र का लाभ उठाने के लिए वह स्वतंत्र हैं। तदनुसार, उपरोक्त टिप्पणियों और स्वतंत्रता के साथ, वर्तमान रिट याचिका और लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

जनवरी 30, 2024/एचपी/एए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*